



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227280
CG-DL-E-01062021-227280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1931]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 1931]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISTHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2021

का.आ. 2076(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1190 (अ) तारीख 12 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH161 (New) के कि.मी. 20.200 से कि.मी. 40.100 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) का (बाईपासों सहित) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31.03.2021" को "हितवादा" और "दैनिक लोकमत" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले में NH161 (नई) के कि.मी. 20.200 से कि.मी. 40.100 (नांदेड-हिंगोली-वाशिम-अकोला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अकोला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पातुर				
	गांव का नाम: चिंचखेड				
1	18/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.13	प्रियदर्शन ग्रामीण एंड आदिवासी उत्कर्ष फाउंडेशन नावेगों अध्यक्ष जगन्नाथ सीताराम धोने (१८/२)
2	6/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.15	वज्जालाबाई जगन डोडके बूदाबाई नारायण डोडके बजरंग तुकाराम डोडके (६/२)
3	6/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	लक्समन पुंजाजी भराडी (६/२)
4	6/2	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	अरुण पुंडलिक भराडी (६/२)
5	6/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.18	निरंजन महादेव काढोने (६/३)
6	6/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.08	सागर निरंजन काढोने (६/३)
7	6/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	संतोष निरंजन काढोने (६/३)

गांव का नाम: जिराईत पातुर					
8	118(420/1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.41	अशोक कुमार सुरेन्द्रकुमार गौतम (118 (420/1))
9	135(57/1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.09	सिमसिंघ वि अरविंद सिंह गहलोत (135 (57/1))
10	165(115/4)	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	लीलाबाई शिवराम धोने (165 (115/4))
11	262/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.06	ानिक ुर रहमान अतीक ुर रहमान (262/1)
12	268(229/2)	निजी	एग्रीकल्चर	0.02	सफीउल्ला खान सनाउल्ला खान (268(229/2))
13	4(447/3)	निजी	एग्रीकल्चर	0.3221	राशीदाबी से खालेख एंड अदर्स (4(447/3))
14	4(447/5)	निजी	एग्रीकल्चर	0.0085	शेख आजम शेख इदरीश (4(447/5))
15	4(447/5)	निजी	एग्रीकल्चर	0.0008	शेख आजम शेख इदरीश (4(447/5))
16	41(301/4A)	निजी	एग्रीकल्चर	0.04	से मीर से शौखत (41(301/4A))
17	43(304/1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.65	से सयडु से मियाजान (43(304/1))
18	6(449/1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.088	से आमरी से रउफ एंड अदर्स (6 (449/1))
गांव का नाम: पट्टी अमराई					
19	30(434/1)	निजी	एग्रीकल्चर	0.07	बसंतीबाई रतिलाल सुगन्धि (30 (434/1))
20	30(434/3)	निजी	एग्रीकल्चर	0.22	रामभाऊ सखाराम देवकर एंड अदर्स (30 (434/3))
21	30(434/4)	निजी	एग्रीकल्चर	0.08	भारती राजेश देशमुख (30 (434/4))
22	30(434/4A)	निजी	एग्रीकल्चर	0.03	रतिलाल गोवर्धनदास सुगन्धि (30 (434/4 A))
23	58(421/1A)	निजी	एग्रीकल्चर	0.91	प्रकाश शंकर वाडी एंड अदर्स (58 (421/1 A))

	गांव का नाम: सावरखेड खु.				
24	54/3	निजी	एग्रीकल्चर	0.468	रामलाल जगन्नाथ यादव (54/3)
	गांव का नाम: शिली				
25	69/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.2	दिनकर चिंदजी वासत्कार एंड अदर्स (69/1)
26	74	निजी	एग्रीकल्चर	0.16	प्रशांत गजानन महिसने (74)
27	74	निजी	एग्रीकल्चर	0.14	हेमलता श्रीकिशन अंधारे (74)
			कुल	4.6274	

[फा. सं. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31th May, 2021

S.O. 2076(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1190 (E) Dated 12th March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH161 (New) (including bypasses) on the stretch of land from Km. 20.200 to Km. 40.100 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola section) (SDO Office balapur) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hitwada” and “Dainik Lokmat” both dated 31.03.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 20.200 to Km. 40.100 (Nanded-Hingoli-Washim-Akola section) of NH161 (New) (including bypasses) (SDO Office balapur) in the district of AKOLA in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: AKOLA		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Patur				
	Village: Chinchkhed				
1	18/2	Private	Agriculture	0.13	Priyadardhan Gramin and Adivashi Utkarsh Foundation Navegaon Adhyaksha Jagganath Sitaram Dhone 18/2
2	6/2	Private	Agriculture	0.15	Vacchalabai Jagan Dodke Bundabai Narayan Dodke Bajrang Tukaram Dodke 6/2
3	6/2	Private	Agriculture	0.02	Laxman Punjaji Bharadi 6/2
4	6/2	Private	Agriculture	0.03	Arun Pundlik Bharadi 6/2
5	6/3	Private	Agriculture	0.18	Niranjan Mahadev Kadhane 6/3
6	6/3	Private	Agriculture	0.08	Sagar Niranjan Kadhane 6/3
7	6/3	Private	Agriculture	0.04	Santosh Niranjan Kadhane 6/3
	Village: Jirayat Patur				
8	118(420/1)	Private	Agriculture	0.41	Ashok Kumar Surendrakumar Gautam 118 (420/1)
9	135(57/1)	Private	Agriculture	0.09	Simasingh Vi. Aravinda Singh Gahilot 135 (57/1)
10	165(115/4)	Private	Agriculture	0.03	Lilabai Shivram Dhone 165 (115/4)
11	262/1	Private	Agriculture	0.06	Anik ur Raheman Atik ur Raheman 262/1
12	268(229/2)	Private	Agriculture	0.02	safiulla Khan sanaulla khan 268(229/2)
13	4(447/3)	Private	Agriculture	0.3221	Rashidabi Se Khalekh and others 4(447/3)
14	4(447/5)	Private	Agriculture	0.0085	Shekh Ajam Shekh Idrish 4(447/5)
15	4(447/5)	Private	Agriculture	0.0008	Shekh Ajam Shekh Idrish 4(447/5)
16	41(301/4A)	Private	Agriculture	0.04	se. Mir Se Shokhat 41(301/4A)

17	43(304/1)	Private	Agriculture	0.65	Se. Saydu Se. Miyajaan 43(304/1)
18	6(449/1)	Private	Agriculture	0.088	Se. Aamri Se. Rauf and others 6 (449/1)
Village: Patti Amarai					
19	30(434/1)	Private	Agriculture	0.07	Basantibai Ratilal Sugandhi 30 (434/1)
20	30(434/3)	Private	Agriculture	0.22	Rambhau Sakharam Devkar and Others 30 (434/3)
21	30(434/4)	Private	Agriculture	0.08	Bharati Rajesh Deshmukh 30 (434/4)
22	30(434/4A)	Private	Agriculture	0.03	Ratilal Govardhandas Sugandhi 30 (434/4 A)
23	58(421/1A)	Private	Agriculture	0.91	Prakash Shankar Wadi and Others 58 (421/1 A)
Village: Sawarkhed Kh.					
24	54/3	Private	Agriculture	0.468	Ramlal Jagganath Yadav 54/3
Village: Shirla					
25	69/1	Private	Agriculture	0.2	Dinkar Chindaji Vasatkar and Others 69/1
26	74	Private	Agriculture	0.16	Prashant Gajanan Mhaisne 74
27	74	Private	Agriculture	0.14	Hemlata Shrikishna Andhaare 74
			TOTAL	4.6274	

[F. No. NHAI/NAGPUR/AMRAVATI/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director